संपादकीय

नियुक्तियों से घटेगा मुकदमों का बोझ

क्या राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये की वजह से राज्यों की निचली अदालतों में न्यायाधीशों, न्यायिक कार्मिकों और सहायक कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं अथवा इसकी कोई और वजह है? हालांकि निचली अदालतों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार का विषय है लेकिन मौजूदा स्थिति के मद्देनजर एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति यों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की संभावना तलाश की जानी चाहिए?

बहुत संभव है कि राज्य सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या के साथ ही लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही हो। एक अनुमान के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के करीब छह हजार पद रिक्त हैं जबकि लंबित मुकदमों की संख्या दो करोड़ साठ लाख से भी अधिक होने की संभावना है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये न्यायिक अधिकारियों के चयन हेतु केन्द्रीकृत चयन व्यवस्था के अंतर्गत 'एकल परीक्षा' आयोजित करने की अवधारणा पर स्वतः ही विचार करने का निश्चय किया था। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि जिला स्तर पर न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिये मेधावी युवावर्ग को आकर्षित किया जा सके। लेकिन कई राज्यों ने इस परिकल्पना को लेकर अपनी आशंकाएं भी व्यक्त की हैं।

सवाल उठता है कि यदि अधीनस्थ अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और उन पदों पर नियुक्ति यां करने की दिशा में राज्य सरकारें पहल नहीं कर रही हैं तो इससे कौन लाभान्वित होगा? रिक्त पदों की वजह से लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों से अपेक्षा थी कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति यां करने के लिये कारगर कदम उठायेंगी।

इस स्थिति से निपटने के लिये न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या के साथ ही निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने, अदालतों में बुनियादी सुविधाएं और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

यही कारण है कि विधि एवं न्याय विभाग संबंधी संसद की स्थाई समिति ने निचली अदालतों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त होने पर चिंता ही नहीं व्यक्त की है बल्कि उसने अपनी रिपोर्ट में न्याय विभाग से यह सिफारिश की है कि वह इन नियुक्ति यों के बारे में पहल करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करे।

समिति ने अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिये अधिक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके न्यायाधीश-आबादी के अनुपात में सुधार पर जोर देने के साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिये विकल्प के रूप में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की संभावनाएं तलाशने की भी सिफारिश की है।

यह दीगर बात है कि मई, 2006 में संसद की स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की दिशा में तेजी से कदम उठाने की सिफारिश की थी। वैसे तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विचार 1960 से ही चर्चा में है। राज्य सरकारों और न्यायपालिका के भीतर से ही हो रहे विरोध के कारण यह परवान नहीं चढ़ पा रहा है। संसदीय समिति महसूस करती है कि इन रिक्त पदों पर नियुक्ति यां करके लंबित मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के 22677 स्वीकृत पद हैं जबकि पिछले साल एक दिसंबर की स्थिति के अनुसार इनमें से करीब छह हजार पद रिक्त थे। रिक्त पदों के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है जहां करीब 1350 पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में भी न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के करीब 750 पद रिक्त थे जबकि दिल्ली में इनकी संख्या 316 थी। बिहार में भी अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के करीब 825 पद रिक्त थे।

दूर कीजिए आम आदमी की नाराजगी

कर्नाटक एवं हाल के उपचुनावों में भाजपा को मिली हार से संकेत मिलता है कि आम आदमी सरकार के कार्य से प्रसन्न नहीं है। इस समस्या से उबरने के लिए भाजपा को तीन नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहला विषय तेल के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दामों का है। दो वर्ष पूर्व विश्व बाजार में तेल के दाम लगभग साठ डॉलर प्रति बैरल थे, जो इस समय बढ़कर अस्सी डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। तदनुसार भारत में पेट्रोल तथा डीजल के दाम में भी भारी वृद्धि हुई है। इससे मध्यवर्गीय लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें अपनी कार अथवा स्कूटर में पेट्रोल अथवा डीजल डालने के लिए अधिक रकम अदा करनी पड़ रही है। जनता यह नहीं समझती है कि यह वृद्धि सरकार के कारण नहीं, बल्कि विश्व बाजार के कारण है। फिर भी पेट्रोल के दाम में वृद्धि को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका है।

पेट्रोल के दाम में सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स का भारी हिस्सा होता है। फिलहाल सरकार ने तेल पर टैक्स की दरों को पूर्ववत् बनाये रखा है। सरकार के सामने विकल्प यह है कि तेल पर लगाये गए टैक्स को घटाए, वर्तमान दर को

बनाये रखे, अथवा इनमें वृद्धि करे। जनता की मांग है कि सरकार टैक्स में कटौती करे, जिससे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दाम से उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सके। लेकिन यह सही नीति नहीं होगी। कारण यह कि हम आयातिक तेल पर निर्भर हो गए हैं। हमारे आयातों में तेल का हिस्सा लगभग तीस प्रतिशत है। तेल पर टैक्स को घटाकर तेल के दाम को न्यून बनाये रखने से बाजार में तेल के दाम में वृद्धि नहीं होगी और तेल की खपत पूर्ववत् बनी रहेगी। जैसे-जैसे विश्व बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हमें इनके आयात के लिए अधिक रकम अदा करनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हम तेल की खपत को घटाएं।

यहां दो परस्पर उद्देश्य हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जनता को तेल के बढ़ते हुए दाम से राहत देनी है तो दूसरी तरफ देश की आयातिक तेल पर निर्भरता को भी घटाना है। यदि सरकार तेल पर टैक्स को घटाती है तो जनता को राहत मिलती है लेकिन हमारी आयातों पर निर्भरता बनी रहती है। इसके विपरीत यदि सरकार तेल पर टैक्स की वर्तमान दरों को बनाये रखती है अथवा इन्हें बढ़ाती है तो जनता को राहत नहीं मिलती है। यद्यपि हमारी आयातों पर निर्भरता कुछ कम होती है। इन दोनों परस्पर विरोधी उद्देश्यों को साधने का एक उपाय यह है कि सरकार तेल पर लगाये गए टैक्स की वर्तमान दरों को बनाये रखे अथवा बढ़ाये और साथ-साथ जीएसटी में छूट दे। तेल के बढ़े हुए दाम से टैक्स अधिक वसूल करे, लेकिन उस टैक्स का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने के बजाय दूसरी तरफ जनता को हस्तान्तरित कर दे। जनता को तेल के अधिक दाम देने पड़ेंगे लेकिन शेष सभी वस्तुओं पर कम दाम देने पड़ेंगे। जनता तेल के अधिक दामों से त्रस्त नहीं होगी। हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी।

संकट से आगे

देश में जल संकट पर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट स्थितियों का खौफनाक चित्रण करती है, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं देती कि इससे सरकार की नीतियों पर और प्राथमिकताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इस वजह से यह आशंका बन गई है कि कहीं यह भी उस सालाना रस्मअदायगी का हिस्सा बनकर न रह जाए जिसके तहत हर साल मई-जून में ऐसी न जाने कितनी रिपोर्ट, रिसर्च और स्टडी चर्चा में आकर हवा हो जाती हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम इतिहास के सबसे भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं जो दिनोंदिन और भी भयानक होता जा रहा है। साफ पानी तक आसान पहुंच न होने की वजह से अभी सालाना 2 लाख लोगों की मौत होती है। 2020 तक देश के 21 शहर भू-जल की कमी से जूझ रहे होंगे। 2030 तक देश में पानी की मांग इसकी सप्लाई के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट में पानी की इस कमी के जीडीपी पर पड़ने वाले असर का भी जायजा लिया गया है।

आमने-सामने विपक्ष

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने भले ही दिल्ली के प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को लेकर उप-राज्यपाल के घर धरना दिया हो, लेकिन उनके इस सियासी कदम ने अनायास ही विपक्ष के आपसी असमंजस और टकराव को उजागर कर दिया है। अपोजिशन बीजेपी मुक्त भारत बनाने के नाम पर एकजुट होकर चलने की बात करता है पर उसमें आपसी तालमेल की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है।

इसके मूल में यह दुविधा काम कर रही है कि उसका जोर गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस थर्ड फ्रंट गठित करने पर होना चाहिए, या कांग्रेस को साथ लेकर एक महागठबंधन बनाने पर। अभी ज्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने को अपने लिए बेहतर मान रहे हैं। रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और एचडी कुमारस्वामी ने केजरीवाल के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए उनसे मुलाकात की कोशिश की। वे उनके परिवार से मिले लेकिन राहुल गांधी से मिलना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड केजरीवाल के धरने को ड्रामा बताने का ही है। कुछ और मसलों पर भी क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस में मतभेद है। याद करें, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह। उसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जिस गर्मजोशी से मिलीं, वह चर्चा का विषय बना, लेकिन ये नेता राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी से नदारद रहे जबकि इसे विपक्षी एकता दिखाने के एक बड़े मौके की तरह देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने तो साफ संकेत दे दिया है कि अगले आम चुनाव में वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी।

बदलाव की पहल

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की पहल करते हुए ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का रास्ता खोला है। बिना यूपीएससी परीक्षा दिये दस विभागों में दस ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिये तीस जुलाई तक आवेदन मांगे गये हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने गाइडलाइन्स के साथ अधिसूचना जारी की। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले पंद्रह साल का अनुभव रखने वाले मेधावी स्नातक प्रतिभागी इसके लिये आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी केवल साक्षात्कार के जरिये इनका चयन करेगी, जिनका कार्यकाल तीन साल होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करने होगा। सारी सुविधाएं उसी अनुरूप मिलेंगी। निश्चित रूप से किसी भी मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद खासा महत्वपूर्ण होता है। नीतिगत फैसलों में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। सरकार कहती है कि उपलब्ध स्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का अवसर मिलेगा। हर भारतीय को अपनी प्रतिभा व क्षमता के अनुसार अपना विकास सुनिश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें आवेदक की न्यूनतम उम्र चालीस वर्ष रखी गई है।

दरअसल, ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव वर्ष 2005 में ?आया था, जब प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। कालांतर में वर्ष 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में फिर इसकी अनुशंसा की गई। इस दिशा में गंभीर पहल नरेंद्र मोदी के वर्ष?2014 में सत्ता में आने पर हुई। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव की हकीकत जानने के लिये वर्ष 2016 में एक कमेटी बनाई, जिसने इसके क्रियान्वयन की संस्तुति की। दरअसल, इस बदलाव को लेकर ब्यूरोक्रेसी में संशय व भय दोनों ही रहे हैं। अंततः प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कुछ बदलावों के साथ इसे स्वीकारा गया।

खेल पर यू-टर्न

आखिरकार हरियाणा सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें सेवारत खिलाड़ियों को अपनी आय का एक-तिहाई हिस्सा राज्य खेल समिति को देने को कहा गया था। यह अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह बाद विरोध के बाद वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'हमें हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है, मैं उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर फिर से विचार करने का आश्वासन देता हूं।' गौरतलब है कि सरकार ने 30 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर कहा कि पेशेवर खिलाड़ियों को खेल से कमाई गई आय का एक-तिहाई हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को देना होगा।

बनाएं रिपिल्ड चौकलेट मिल्कशेक घर की पार्टी में

पार्टी में खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता ही है अगर ऐसे में रिपिल्ड चौकलेट मिल्कशेक मिल जाएं तो क्या बात हो. आइये आज हम आपको रिपिल्ड चौकलेट मिल्कशेक की विधि बताते है.

सामग्री -

1 गिलास - दूध
2 छोटे चम्मच - चीनी
1 बड़ा चम्मच - कोको पाउडर
1-2 स्कूप वनीला - आइसक्रीम
1 बड़ा चम्मच - चौकलेट गार्निश
के लिए
1 बडा चम्मच - चौकलेट सौस
2 बडे चम्मच - पानी

बनाने की विधि -

1. सबसे पहले कोको पाउडर, चीनी व पानी मिलाएं. फिर इसे गैस में रख कर तब तक गर्म करे तब तक चिली पिघलने न जाएं साथ ही साथ इसे चलाते रहें.

2. पेस्ट बनने के बाद इसे ठंडा कर लें.

3. दूध ठंडा करें व कोको का पेस्ट मिलाकर झाग आने तक फेंटें.

4. गिलास में दूध डालें, उस पर वनीला का स्कूप डालें और ऊपर से चौकलेट सौस व चौकलेट गार्निश करें और सर्व करें.

शब्द सामर्थ्य

बाएं से दाएं

1. ठुड्डी पर के बाल, ठुड्डी, ठोढ़ी 3. विशेष और सामान्य (आदमी), आम और खास लोग (उ.) 5. इच्छा, हसरत, अभिलाषा 6. शारीरिक कोमलता, सुकुमारता (उ.) 7. सविनय, विनती पूर्वक 10. बिलख-बिलख कर रोना 11. कहानी, उपन्यास 12. कुशल, दक्ष, विशेषज्ञ 13. भार, दबाव 14. शुभ-अशुभ की पूर्व सूचना, शुभ अवसर पर होने वाला मंगल कार्य संबंधी गीत 15. एहसान, भलाई, हित 17. सूत काटने, लपेटने में काम आने वाली चर्खे से लगी सलाई 19. एक हिन्दी महीना, श्रावण 20. सप्ताह का एक दिन, बृहस्पतिवार।

ऊपर से नीचे

1. जंगल में लगी आग, दावाग्नि 2. मूल्य, दाम 4. स्वतंत्र, स्वाधीन 5. संकट, कष्ट, दर्द 7. लकड़ी, कन्या, कानों में पहनने का छल्ला, श्रेष्ठ 8. बेइज्जती, अनादार 9. शोभा, सुंदरता, बसंत ऋतु 10. तबाह करने वाला,विनाशक 11. इस समय 13. असुर, राक्षस, दैत्य 14 ए. गुरुमंत्र, बहुत अच्छी युक्ति 15. पर्व, त्यौहार 16. शिकायत, उलाहना, ग्लानि 17. वृक्ष, पेड़ 18. मुंह से निकलने वाला थूक जैसा पदार्थ।

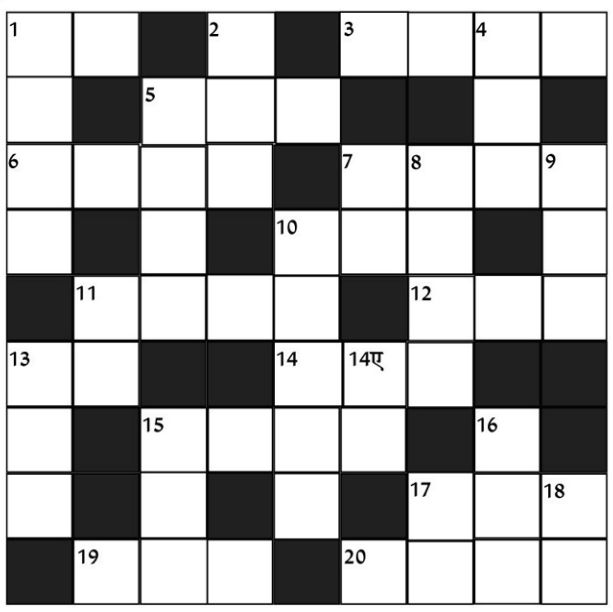

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 44 का हल

खा	म	खां	■	■	इं	■	■	■
स	ह	■	ब	र	सा	त	■	प
■	क	हा	नी	■	न	क	च	ढ़ा
त	■	■	स्ब	■	■	ली	■	ई
क	या	म	त	■	क	फ	न	■
दी	■	र्दा	■	बा	बू	■	ह	वा
र	ह	ना	■	ल	त	खो	र	■
■	वा	■	नौ	क	र	■	■	सा
भा	ई	■	का	■	■	बा	द	ल

सू-दोकू

	9			2				1
		5	1				3	
7				9		8		5
	8		3		7		5	
2		7				1		3
	4			1			8	
6		2			9			
	5		7			3		
		8		5			6	7

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.44का हल

7	8	2	6	3	1	4	5	9
6	4	1	8	5	9	2	7	3
9	3	5	4	7	2	6	1	8
2	6	3	1	9	7	5	8	4
5	7	8	3	6	4	1	9	2
1	9	4	5	2	8	7	3	6
4	5	7	2	8	3	9	6	1
3	1	6	9	4	5	8	2	7
8	2	9	7	1	6	3	4	5

राशिफल

मेष : आज का दिन आनंदप्रद रहेगा ऐसा गणेशजी कहते हैं। अगर लक्ष्मीजी की कृपा हुई तो आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकेंगे। बौद्धिक कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। छोटे प्रवास की भी संभावना है।

वृषभ : वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। बैठक या चर्चा-विचारणा में भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से आनंदित होंगे। गृहस्थजीवन में सुख-शांति रहेगी।

मिथुन : आपका मन अनिर्णायक स्थिति में हो सकता है। अधिक भावुकता भी मन को अस्वस्थ बना सकती है। माता के प्रति अधिक भावनात्मक रहेगें। बौद्धिक चर्चा का प्रसंग उपस्थित हो सकता है, लेकिन वाद-विवाद को टालें।

कर्क : आज भाइयों से लाभ होगा। मित्रों के साथ हुई भेंट का और स्वजनों के सहवास का आनंद आप लूट सकेंगे। किसी सुंदर स्थल पर प्रवास की संभावना है। आज आप को हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त होगी।

सिंह : परिजनों के साथ अच्छा वातावरण प्राप्त होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। दूर स्थित व्यक्ति या संस्था के साथ सम्बंधों में दृढता आएगी, जो आगे चलकर लाभदायी रहेगा। अधिक खर्च से बचें। निर्धारित कार्य में अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होगी।

कन्या : आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। लक्ष्मीदेवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों और सेहीजनों के साथ आनंददायी भेंट होगी। प्रवास भी आनंदप्रद रहेगा।

तुला : क्रोध पर संयम रखें, संभव हो तो वाद-विवाद से दूर रहें। परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की आशंका है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। कोर्ट-कचहरी के कार्य में ध्यान रखें। मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें।

वृश्चिक : आज का दिन आपके लिए लाभदायी और शुभफल प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। सांसारिक सुख प्राप्त होगा। विवाहोत्सुकों के लिए विवाह का योग है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा। उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे।

धनु : आज आपका दिन शुभ है। परोपकार की भावना रहने से अन्य लोगों को सहायता मिलेगी। व्यापार में भी आपका आयोजन व्यवस्थित होगा। व्यापार के कारण बाहर कहीं प्रवास हो सकता है। ऊपरी अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन की संभावना है।

मकर : आज का दिन मध्यम फलदायी होगा। बौद्धिक तथा लेखनकार्य से जुड़ी हुई प्रवृत्ति में आप सक्रिय रहेंगे। मानसिक उद्वेग से आप परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है।

कुंभ : आज आप निषेधात्मक कार्य तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। क्रोध पर संयम रखें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों से दूर रहें। ध्यान और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे।

मीन : गणेशजी कहते हैं कि आज के दिन मनोरंजन और आमोद-प्रमोद में आप डूबे रहेंगे। व्यवसाय में साझेदारी के लिए उत्तम समय है। स्वजनों, मित्रों के साथ पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। दांपत्यजीवन में निकटता और मधुरता आएगी। समाज में ख्याति मिलेगी।